1— <u>बीज प्रक्रिया</u>

1.1 बीज प्रक्रियान्तर्गत, खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप उत्पादित बीज को बीज प्रक्रिया कार्य के लिये बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों/जिनिंग केन्द्रों पर लाना होगा। बीज प्रक्रिया कार्य में बीजों की ग्रेडिंग एवं बीज उपचार इत्यादि सम्मिलित है। संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों/जिनिंग केन्द्रों पर ही प्रक्रिया कार्य मान्य होगा। फसल विशेष हेतु बीजों की ग्रेडिंग हेतु जालियों के निर्धारित माप परिशिष्ट—ट पर दर्शाये गये हैं।

बीज प्रक्रिया केन्द्रों का पंजीयन एक वर्ष एवं तीन वर्ष हेतु निम्न शर्तो के तहत् होगाः—

<u>अ—एक वर्ष के लिये बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण—</u>

1—प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट—ट^ अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2—जिन बीज उत्पादक संस्थाओ के स्वयं के स्वामित्व वाले भण्डार गृह में स्थापित बीज प्रक्रिया केन्द्र नहीं होंगे, ऐसे बीज प्रक्रिया केन्द्रों का प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु किया जावेगा।

3—उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक वैघ होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>ब—तीन वर्ष के लिये बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण—</u>

1—प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट—ट^ अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2–उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैघ होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3–बीज उत्पादक संस्था के पास स्वंय के स्वामित्व के भण्डार गृह में स्थापित स्वंय का बीज प्रक्रिया केन्द्र होना अनिवार्य है।

4–आवेदन के साथ स्वयं के स्वामित्व का भण्डार गृह होने से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे भण्डार गृह का मानचित्र (माप एवं क्षमता सहित), रजिस्ट्री आदि की सत्यापित छायाप्रति एवं नोटराइज्ड़ शपथ पत्र (निर्धारित परिशिष्ट–ग) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगी।

5–तीनो वर्षो का कुल शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

–पंजीयन हेतु शुल्क रूपये 4500/–

–नवीनीकरण हेतु शुल्क रूपये 3000/–

6–तीन वर्ष की अवधि हेतु पंजीयन/नवीनीकरण की स्थिति में नियत पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्र/भण्डार गृह में किसी भी प्रकार का आंतरिक/बाह्य परिवर्तन की स्थिति में 15 दिन पूर्व सूचना संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को देनी होगी। बिना पूर्व सूचना के स्थान परिवर्तन पाये जाने पर जांच उपरांत उक्त उत्पादक संस्था एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र का पंजीयन/नवीनीकरण निरस्तीकरण की कार्यवाही संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा प्रस्तावित की जावेगी।

1.1.1 **बीज प्रक्रिया केन्द्रो के पंजीयन हेतु आवश्यकतायें–**

1. उत्पादक संस्था का वैद्य पंजीयन क्रमांक। यदि संस्था का पंजीयन आवेदित हो तो सन्दर्भ लिखे।

2. बीज प्रक्रिया केन्द्र हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता के उपयुक्त भवन/भण्डार गृह (आवश्यक शेड सहित)।

3. बीज प्रक्रिया संयंत्र ैँममक ळतंकमत)।

4. निर्धारित माप की आवश्यक चालनियां ैँबतममदे)।

5. तुलाई मशीन, सिलाई मशीन, आर्द्रता मापी।

6. एक्जास्ट फेन, अग्निशामक यंत्र।

7.आवश्यकतानुसार वुडन/मैटल/प्लास्टिक(फाइबर) पैलेट्स।

8. पर्याप्त धूम्रीकरण कवर, तारपोलिन।

9. प्राथमिक उपचार व्यवस्था (थ्पतेज ।पक ठवग)

10.संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के बैठने/रिकार्ड रखने की समुचित व्यवस्था।

11. आवेदन अधिकृत प्रक्रिया प्रभारी अथवा उत्पादक संस्था के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

नोट– बीज प्रक्रिया केन्द्र पर यदि अन्य आधुनिक/उन्नत व्यवस्थायें हों तो उनका भी विवरण दिया जाये जैसे– प्रिक्लीनर, इन्डेन्टेड सिलेण्डर, ग्रेविटी सेप्रेटर एवं ड्रायर आदि।

1.2 बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु उक्त बिन्दु 14.1.1 (1) के अन्तर्गत उपयुक्त भण्डार गृह में निम्नानुसार आवश्यकतायें होना चाहियेः–

1. प्रक्रिया केन्द्र उपयुक्त भवन में जिसमें उचित प्रकाश, हवा आदि की व्यवस्था हो।

2. भवन उपयुक्त (दरार रहित) तथा नमी रोधक हो।

3. संयंत्र के आस पास कार्य हेतु जगह होना चाहिये तथा असंसाधित एवं संसाधित बीज रखने हेतु पर्याप्त भंडारण व्यवस्था हो।
4. केन्द्र पर बीज सुखाने आदि कार्यो हेतु पर्याप्त स्थान हो।
5. संयंत्र के संसाधन क्षमता का सही उपयोग करेगें एवं बीज की शुद्वता को बनाये रखेंगे।
6. संयंत्र निरीक्षण हेतु पहुंच मार्ग सुगम हो।
7. संयंत्र मानक उपकरणों से युक्त हो।
8. सभी प्रमाणीकरण संबंधी क्रियाएं संस्था के प्रतिनिधि के अनुमोदन उपरान्त होनी चाहिये।

1.3 बीज प्रक्रिया हेतु प्रणाली :-

बीज प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें बीज की गुणवत्ता को बीज प्रक्रिया द्वारा, अवशिष्ट पदार्थ जैसे-कंकड,मिट्टी, छोटे बीज, खरपतवार बीज, कटे-फटे बीजों को अलग कर, बनाया जाता है। प्रभारी अधिकारी बीज उत्पादक से आवश्यक दस्तावेज जैसे अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट आदि को जांचने के उपरांत असंसाधित बीज मोहर बन्द प्रमाण पत्र में दी गई वास्तविक उत्पादन के आधार पर प्राप्त करेगा एवं निम्नानुसार बीज लाट की जांच करेगा।

(अ) बीज लाट में भौतिक मिलावट, अवशिष्ट पदार्थ, लस्चर आदि।
(ब) कीटोपघात, बीमारी, संदूषण आदि।
(स) नमी प्रतिशत।
(द) बीज लाट की मात्रा।
(इ) कट ऑफ डेट के पूर्व प्राप्ति।
(फ) स्पष्ट दिखाई देने वाला मिश्रण।

1.4 प्रत्येक लाट की प्रक्रिया के बाद बीज साफ-सुथरे बोरों में भरा जायेगा, जिसमें फसल, किस्म व श्रेणी लॉट क्रमांक अंकित हो।

1.5 प्रक्रियाकृत बीज के प्रत्येक बोरे का वजन एक समान हो तथा सिलाई के बाद बोरों को लेड सील लगाकर मोहरबंद किया जायेगा।

1.6 एक स्टेक में एक ही किस्म, श्रेणी का बीज रखा जा सकेगा एवं स्टेक पर पहचान के विवरण का स्टेक कार्ड लगाया जावेगा।

1.7 बीज लाट के स्टेक के चारो तरफ पर्याप्त जगह हो ताकि सुगमता से लाट्स का निरीक्षण किया जा सके।

1.8 जिस गोदाम में प्रक्रियाकृत बीज या प्रमाणित बीज रखा हो उसमे अन्य सत्यरूपित बीज या अनाज न रखा जावे। अण्डर साईज बीज का भण्डारण भी ऐसे गोदाम में नही किया जावे।

1.9 संकर कपास में रेशेयुक्त या डिलेन्टेड लाट का ही नमूना लिया जावेगा।

1.10 प्रक्रिया केन्द्रो पर उत्पादक संस्था द्वारा निम्नानुसार अभिलेखो का संधारण अनिवार्य रूप से करना होगा।

1. बीज प्राप्ती रसीद।
2. दैनिक बीज उपार्जन पंजी।
3. प्रक्रिया केन्द्र पर स्थापित मशीनों की लॉग बुक।
4. पंजीकृत बीज उत्पादकवार सभी प्रमाणीकरण कार्य की प्रविष्टियों की पंजी।

1.11 प्रक्रिया केन्द्रों पर निम्नानुसार अभिलेखो का संधारण संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

1. बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजी।
2. फसल पंजी।
3. टेग लेखा पंजी।

संस्था के पर्यवेक्षकीय अधिकारी उक्त संधारित अभिलेखों का समय–समय पर अनिवार्यतः निरीक्षण करेंगे।